सख्या:-13/2024/आई490621/001-40आ0-23-5002-002-71-2023
(कम्पयूटर संख्या-1774443)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2024**

विषय: गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55(भवन) पूंजीलेखा मद लेखाशीर्षक 4059-80-051-18-00-24 "निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/(जीर्णोद्धार के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के कार्य हेतु लैप्स धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-522बीजीबी/परियोजना की आख्या/2022-23, दिनांक 03.08.2023 एवं सं0-74जी/9(निरी0)बी0पी0-विंग/2024, दिनांक 30.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-100/2023-001-109आ0-23-5-23-10(भवन)/2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा जनपद अयोध्या के सर्किट हाउस के विस्तार कार्य हेतु रू0 82.61 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 21.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2023 द्वारा निर्गत धनराशि लैप्स हो जाने के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद लेखाशीर्षक 4059-80-051-18-00-24 "निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के सर्किट हाउस के विस्तार कार्य हेतु लागत रू0 82.61 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष **रू0 21.00 लाख(रू0 इक्कीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2022-23 में लैप्स धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	100/2023-001-109 आ0-23-5-23-10 (भवन)/2023, दिनांक 31.03.2023	अयोध्या के सर्किट हाउस परिसर में पूर्व निर्मित मीटिंग हॉल एवं 03 सूट भवन के ऊपर द्वितीय तल पर अतिरिक्त 03 सूट का निर्माण कार्य।	82.61	21.00	21.00	21.00
		योग :-	**82.61**	**21.00**	**21.00**	**21.00**

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(4) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रनओवर/टाइम रनओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

(12) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति जारी की जायेगी।

(13) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 21,00,000(रूपये इक्कीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059800511800 निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-13/2024/आई490621/001-40आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी अयोध्या।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लो0नि0वि0, अयोध्या।
12- अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या-अम्बेडकरनगर वृत्त, लो0नि0वि0, अयोध्या।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, लो0नि0वि0, अयोध्या।
14- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।